न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–127/2016(2016/00127)223/केकडी

1. मिश्री पुत्र कजोड जाति मीणा निवासी गिरवरपुरा हाल तहसील सावर जिला अजमेर(फौत)
   1/1 सोहनी पत्नि मिश्री
   1/2 रणजीत पुत्र मिश्री
   1/3 अम्बालाल पुत्र मिश्री
   1/4 नाथी देवी बेवा देवराज
   1/5 गिरधर पुत्र देवराज नाबालिग जरिये वली माता नाथी देवी।
   1/6 कैलाशी पत्नि कल्याण पुत्री मिश्री जाति मीणा निवासी गोदरा तहसील सावंर जिला अजमेर ।
   1/7 प्रेम पत्नि जयलाल पुत्री मिश्री जाति मीणा निवासी नाड़ी तहसील सावंर जिला अजमेर।
2. मानी पुत्री कजोड जाति मीणा हाल निवासी गोदान का झोंपडा तहसील चाकसू तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
3. बदाम पुत्री कजोड जाति मीणा हाल निवासी गोरदा तहसील सावर जिला अजमेर
4. देवली पत्नि स्व. मोहन
5. भंवरलाल पुत्र मोहन
6. बंशी पुत्र मोहन
7. धारासिंह पुत्र मोहन
8. बरदी पुत्री मोहन जाति मीणा निवासी गिरवरपुरा हाल तहसील सावर जिला अजमेर
9. सायरी पुत्री मोहन जाति मीणा हाल निवासी बारला पोलिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
10. मनफूल पुत्री मोहन जाति मीणा हाल निवासी मायला कुचलवाडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।

अपीलांट

बनाम

1. तेजाराम पुत्र सुखा जाति मीणा निवासी गिरवरपुरा हाल तहसील सावर जिला अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार केकडी हाल सावर।
3. छोटी देवी पत्नि लखमा
4. मन्नी पुत्री लखमा
5. रामेश्वर पुत्र लखमा
6. कमलेश पुत्र लखमा
7. सीमा पत्नि परमेश्वर
8. दुर्गा पुत्री परमेश्वर
9. जयनारायण पुत्र परमेश्वर
10. कोमल पुत्री परमेश्वर
11. मीरा पत्नि जयसिंह सभी नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सीमा पत्नि परमेश्वर
12. किशनलाल पुत्र जयसिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता मीरा पत्नी जयसिंह जाति मीणा निवासी गिरवरपुरा हाल तहसील सावर जिला अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.01.2016, राजस्व वाद संख्या 467/2008 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकडी।

उपस्थितः–

1. श्री विकास पाराशर एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमार एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से ।
3. श्री बकुल रूणवाल एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 3से8, 11, 12 की ओर से।
4. श्री पन्नासिंह एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 09,10 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2019

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, केकडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2016, राजस्व वाद संख्या 467/2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 89, 92–ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम धटीयाली तहसील केकडी हाल तहसील सावर जिला अजमेर मे स्थित जमाबंदी सम्वत 2061 के खाता संख्या 949 मे दर्ज खसरा संख्या 4133, 4134, 4248, 4250, 4251, 4253, 4256 कुल किता 7 कुल रकबा 4.62 हैक्टेयर भूमि जो कि वर्तमान मे मोहन, मिश्री, लखमा पिता कजोड 3/5 हिस्सा, मानी, बदाम पुत्रीया कजोड. 2/5 मीणा सा.गिरवरपुरा खातेदार मिक्षी व लखमा पुत्र कजोड का हिस्सा रहन एस.बी.आई केकडी मुर्तहीन नामांतरकरण संख्या 1828 दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादी एंव प्रतिवादीगण के पूर्वजो की आराजीयात है जो राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश अकेले प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई जिसके कारण वादग्रस्त आराजीयात से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी का नाम हटा दिया गया इसलिए वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये। अपीलांटस की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र मे अंकित किये गये कथनो से इन्कार किया गया। तत्पश्चात प्रकरण मे तनकीयात कायम की गई तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस की शहादत बन्द कर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी से लिखित बहस लेकर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–01–2016 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा अपना वाद पत्र साबित ना करने के उपरांत भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का वाद डिक्री फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2016, राजस्व वाद संख्या 467/2008 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 12 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए, तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

04. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायानस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलांट/प्रतिवादीगण क विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर वादीका वाद डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है। जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर दिया तथा अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा पेश कर दिया। पत्रावली को बहस प्रतिवादी हेतु दिनांक 07.12.2015 नियत की गई थी तथा दिनांक 07.12.2015 को प्रतिवादी के अधिवक्ता हाजिर नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने के आदेश दे दिये। वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात हैं तथा काना के दो पुत्र कजोड़ व सुखा हुए एवं वादी सुखा का पुत्र है तथा आराजीयात पैतृक हैं इसलिए उसे खातेदार घोषित किया जावें। किन्तु

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक भी दस्तावेज पैत्रक भूमि बाबत् प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अपीलांटस को ना तो शहादत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया ना ही बहस करने का अवसर दिया गया केवल मात्र वादी के वाद पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01/ वादी का वाद डिक्री करने में विधिक भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी संख्या 02 लखमा पुत्र कजोड़ का स्वर्गवास दिनांक 05.09.2015 को हो चुका था तथा जयसिंह पुत्र मोहन लाल मीणा का स्वर्गवास दिनांक 05.11.2014 को हो चुका था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2016 मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया हैं, जो निरस्त योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2016 को निरस्त किया जावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात सजरा वारिसान के अनुसार खातेदार काना के दो लड़के थे, कजोड़ एवं सुखा जिसमें कजोड़ा परिवार में बड़ा था, जिसके प्रतिवादीगण/अपीलांटस वारिस हैं तथा सुखा छोटा था जिसमेसं वादी एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 14 राधाकिशन वारिस है। प्रतिवादीगण के पिता कजोड़ परिवार में बड़ा लड़का होने के कारण वादग्रस्त आराजी अकेले कजोड़ के नाम अंकन कर दी गई जबकि उक्त आराजीयात पुश्तैनी है। प्रदर्श–1फसली जमाबंदी 1359 एवं प्रदर्श–2 खतौनी जमाबंदी एवं मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 स्वंय वादी, पी.डब्ल्यू–2 मस्तराम एवं पी.डब्ल्यू–3 रामकुंवार को बतौर साक्षी पेश किया हैं । उक्त साक्षीगण ने वादी के वाद पत्र की ताईद की है एवं आराजीयात पुश्तैनी होना बताया है तथा वादी का 1/2 हिस्सा होनो स्वीकार किया हैं। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा एवं अतिरिक्त कथन में बंटवारा एवं घोषणा सम्बन्धि हिस्सा होना साबित होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र में तीन तनकीयात कायम की तथा निर्णय तनकीवार किया है एवं साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांअस द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने पक्ष में ए.आई. आर. (सुप्रीम कोर्ट) 2011 पेज 1548, आर.आर.ड़ी 2003 पेज 245 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 08, 11, 12 ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि अभिभाषक अपीलांट द्वारा जो बहस की गई वह विधि सम्मत हैं एवं उनके द्वारा की गई बहस को हमारी बहस समझी जावें। ,

7. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलांटस की एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया हैं एवं वाद पत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी संख्या 2 लखमा पुत्र कजोड़ एवं लखमा पुत्र कजोड़ का स्वर्गवास हो चुका था तथा वाद पत्र में उनकी कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं कर मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। वाद विचारण के पश्चात दोनो पक्षों की साक्ष्य एवं दस्तावेजात प्रदर्शित किये जाने का अवसर देते के पश्चात ही निर्णय व डिक्री पारित करनी चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए एवं मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया हैं जो विधि सम्मत नही हैं। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायानय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी,केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.01.2016 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित **Observations** के क्रम मे मृत व्यक्तियों के वारिसान को रिकार्ड पर लेकर, पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

09. आदेश आज दिनाक 31.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर